वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क इंडिया
स्वैच्छिक संगठनों की शीर्ष निकाय
25 वें वर्ष का उत्सव.....
स्वैच्छिक क्षेत्र की आवाज़
वाणी

ई-वाणी

अंक 02 जनवरी–फरवरी 2013

इस अंक में

पृष्ठ 2
नई कम्पनी बिल और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
पृष्ठ 4
स्वैच्छिक क्षेत्र एवं प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक
पृष्ठ 7
स्वैच्छिक नेतृत्व की आवाज: सुश्री एनी नमाला, निदेशक सी.एस.ई.आई.

पृष्ठ 9
राज्य की स्थिति – छत्तीसगढ़

पृष्ठ 13
अनुदान पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन

संपादकीय

प्रिय सदस्यो, एसोसिएट सदस्यों और मित्रों,

सी.एस.आर. एवं निजी क्षेत्र की चुनौतियां

स्वैच्छिक क्षेत्र के रूप में सामाजिक रूप से सजग निजी क्षेत्र का देश के निमार्ण में एक लम्बा इतिहास रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय कम्पनियां न सिर्फ अपनी कमाई सामाजिक कार्यों में लगाए बल्कि कई सामाजिक संस्थाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी प्रकार से कई निजी कम्पनियां और बनीं। व्यक्तियों ने कन्धे से कन्धा मिला कर सामाजिक और धार्मिक सुधार में सहयोग दिया, लेकिन यह भी सत्य है कि सभी पेशे में बुरे तत्व होते हैं जो अच्छे की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। किन्तु हम जानते हैं कि स्वैच्छिक क्षेत्र इस समय चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है और सामाजिक भलाई के विचार को लेकर निजी क्षेत्र भी एक नये दौर से गुजर रहा है। हाल ही में "कम्पनी बिल" पेश किया गया है जिस से नये सिरे से बहस शुरू हुई है कि वे अपने मुनाफे के कुछ हिस्से "कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व" पर खर्च करे। नैतिक और सामाजिक रुप से संवेदनशील धनी वर्ग समाज की भलाई इस तथा कथित सी.एस.आर. से बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि कई प्रतिष्ठित संस्थाएं जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य सामाजिक–आर्थिक अथवा धार्मिक सुधार से जुड़े हैं उनकी जड़े उन उदार निजी कम्पनियों और व्यक्तिगत दाताओं से जुड़ी हैं।

हालांकि कम्पनियों पर जो शर्तें रखी गई हैं वे मुद्दे भी बहस में आए हैं। इससे पहले कि हम "कम्पनी बिल" की कमियों और खूबियों का विश्लेषण करें इसे वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के कम्पनियों के इस प्रावधान को देखना होगा। यहां सी.एस.आर. बजट के पैसे कम खर्च किये जाते हैं साथ ही साथ अगर इसे खर्च भी किया जाता है तो इसे प्रतियोगिता अथवा खेल इत्यादि पर खर्च किया जाता है। कई बार ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि इस धन का उपयोग अपने बड़े मालिकों को खुश करने के लिए किया जाता है। जब तक कि सी.एस. आर धन को खर्च करने के कोई सुरक्षात्मक उपाय नहीं होंगें जिससे कि धन सामाजिक–आर्थिक उन्नति के लिए खर्च हो तब तक कम्पनी बिल की ये संशोधन सिर्फ भ्रम ही पैदा करेंगे। कम्पनियों पर पहले से ही दबाव है कि वे अपना धन सरकारी परियोजनाओं पर लगाएं। वाणी के विगत तीन राष्ट्रीय सम्मेलनों में निजी कम्पनियों तथा औद्योगिक संगठनों के बीच संवाद आयोजित किया गया। इस विशेष सत्र के दौरान निजी क्षेत्र और स्वैच्छिक क्षेत्र ने अपनी समस्याएं रखीं। एक तरफ तो सरकारी गैर–सरकारी पहल को आर्थिक रूप से मजबूत करने की जरुरत है वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में मौजूद विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है। हमें एक

शेष पृष्ठ 3 पर

बीबी–5, प्रथम तल, ग्रेटर कैलाश इन्क्लेव–2, नई दिल्ली – 110 048 (भारत)
फोनः 91–11–29228127, 41435535, 29226632, फैक्सः 91–11–41435535
ई–मेलः info@vaniindia.org वेबसाइटः www.vaniindia.org

नई कम्पनी बिल और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

हाल ही में लोक सभा ने "कम्पनी बिल 2012" पारित किया है जोकि वर्तमान कम्पनी अधिनियम 1956" का स्थान लेगी। इस नये कानून के तहत कम्पनी को सी.एस.आर. पर खर्च उसी जिम्मेदारी के साथ करनी होगी जिस जिम्मेदारी से वे कर अदा करते हैं।

विधेयक की धारा 135 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी जिसकी वार्षिक आय रुपये 500 करोड़ या अधिक हैं अथवा कुल आय रुपये 1000 करोड़ है या शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है तो उसे अपने शुद्ध मुनाफे का 2 प्रतिशत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस. आर.) पर खर्च करना पड़ेगा।

"बिजनेस स्टैंडर्ड" के एक विश्लेषण के अनुसार यदि इस मानदण्ड को लागू किया जाए तो मुम्बई शेयर बाजार (बीएसई) के 500 कम्पनियों में से 457 को इस प्रावधान के मुताविक खर्च करना होगा। औसत मुनाफे के आधार पर इन्हें लगभग 6,751 करोड़ रुपये कानून लागू होने के पहले वर्ष में खर्च करने पड़ेंगे। प्रमुख दस बड़ी कम्पनियां निम्न हैं।

शीर्ष दस कम्पनियां

कम्पनी	3-yr avg profit* (Rs cr)	सीएसआर -2%
ओएनजीसी	20,271.49	405.43
रिलान्स इंडस्ट्रीज	18,853.89	377.08
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	9,712.62	194.25
एनटीपीसी	9,018.17	180.36
टीसीएस	8,054.83	161.10
भारती एयरटैल	7,624.37	152.49
आईओसी	7,206.88	144.14
इन्फोसिस	6,905.33	138.11
टाटा स्टील	6,202.97	124.06
बीएचईएल	5,787.27	115.75

* of FY11-12, FY10-11 and FY09-10 Source: BS Research Bureau

यदि कम्पनी सी.एस.आर. के मानदण्डों को पूरा करने में असमर्थ रहती हैं तो इसके लिए उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा और इन कारणों को उसे अपने किताबों में भी उल्लेख करना होगा, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी जिसमें जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषता निम्न है।

1. पात्रता:

प्रत्येक कम्पनी जो कम्पनी कानून अथवा अन्य किसी पुराने कानून के तहत पंजीकृत है उसे इस कानून की धारा 135 के अनुसारः–

- 500 करोड़ रुपये या अधिक शुद्ध वार्षिक आय
- 1000 करोड़ रुपये या अधिक की पूंजी
- किसी भी वित्तीय वर्ष में शुद्ध मुनाफा 5 करोड़ या उससे अधिक।

2. जिम्मेदारी:

- कम्पनी को एक सी.एस.आर. समिति बनानी होगी जिस में तीन या इससे अधिक निदेशक होंगे।
- कम से कम समिति का एक सदस्य स्वतंत्र निदेशक होगा।

3. सी.एस.आर. समिति के कार्य:

- सी.एस.आर. पर नीतियां बनना एवं बोर्ड को इस के लिए सिफारिश करना इस नीति में कम्पनी के विभिन्न कार्यकलापों को शामिल किया जाएगा जो विशेषकर अनुसूची vii के अनुसार हों।
- इन कार्यकलापों पर खर्च होने वाली राशि की सिफारिश करना
- कम्पनी के सी.एस.आर. नीतियों की समय–समय पर निगरानी करना।

4. बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की भूमिका

- सी.एस.आर. समिति के सिफारिशों की समीक्षा करना
- कम्पनी की सी.एस.आर. नीति को स्वीकृत करना
- अपनी सी.एस.आर. नीति का खुलासा अपने वेबसाईट पर करना।
- यह सुनिश्चित करना कि विगत तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध मुनाफे का 2 प्रतिशत सी.एस.आर. पर खर्च हों। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कम्पनी अपने स्थानीय क्षेत्रों में सी.एस.आर. की गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।

5. सी.एस.आर. के लिए न्यूनतम धन

- कम्पनी को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम औसत मुनाफे का 2 प्रतिशत खर्च हो।

6. सी.एस.आर. के तहत होने वाली गतिविधियां

अनुसूची vii के अनुसार सी.एस.आर. की गतिविधियों को परियोजना के तौर पर किया जाएगा जिस के अतंगर्त निम्न गतिविधियां होंगी।

i. भूख और गरीबी उन्मूलन।
ii. शिक्षा को प्रोत्साहन।
iii. लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहन।
iv. स्वास्थ्य – शिशु मृत्यु दर में कमी, मातृ स्वास्थ्य में सुधार एच. आई.वी. एड्स एवं मलेरिया पर नियंत्रण करना।
v. रोजगार एवं व्यवसायिक कौशल को बढ़ावा देना।
vi. प्रधान मंत्री राहत कोष अथवा अन्य कोष जो केन्द्र अथवा राज्य सरकारें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक तथा महिला के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बना हो उस में योगदान देना।
vii. पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में।
viii. सामाजिक व्यवसायिक परियोजनाएं।
ix. इस तरह के अन्य मामले भी लिए जा सकते हैं।

7. कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में निम्न तत्व अवश्य प्रकट होने चाहिए

- वित्तीय बोर्ड की उप धारा 3 को धारा 134 के तहत वित्तीय रिपोर्ट, सी.एस.आर. समिति, सीएसआर नीति और पहल का विवरण।
- सी.एस.आर. गतिविधियों पर किये गए खर्च का लेखा–जोखा।
- निर्धारित सी.एस.आर. बजट न खर्च कर पाने का वैध कारण।

स्रोतः बिजनेस स्टेंडर्स तथा कम्पनी बिल 2012

पृष्ठ 1 का शेष

साथ मिल कर व्यवस्था को उजागर करने की आवश्यकता है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि यदि निजी कम्पनी अपने सी.एस.आर बजट का हिस्सा स्वैच्छिक क्षेत्र को दे तो उसे व्यापार माना जाएगा अथवा नहीं। कई छोटी और मध्यम कम्पनियां जिनके पास बुनियादी ढांचा नहीं है, यदि वे अपने सी.एस.आर परियोजना को स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा पूरा कराएंगे तो उन्हें कर में क्या लाभ मिलेगा?

एक ऐसे स्थाई मंच की आवश्यकता है जहां निजी क्षेत्र जोकि वास्तविक सी.एस.आर. के लिए पहल करे और स्वैच्छिक क्षेत्र से इस पर बात–चीत करे। इस ई पत्रिका में हमने कम्पनी बिल के प्रावधानों को कवर करने की कोशिश की है साथ ही साथ हम इस मुद्दे पर आपसे अपने विचार देने और इसे आगे ले जाने का भी प्रयास करते हैं।

इस संदेश से हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि आज हमारी ई–पत्रिका की पहुंच 8000 पाठकों तक है अगर आप अपनी परियोजनाओं, सफलताओं और चुनौतियों को पाठकों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस संचार माध्यम के द्वारा अपनी कोई भी सूचना जो आप देना चाहते हैं आप हमें दे सकते हैं।

सदैव आपके साथ

हर्ष जैतली

स्वैच्छिक क्षेत्र एवं प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक

परिचयः

विगत 6 दशकों से स्वैच्छिक क्षेत्र जन साधारण एवं समाज के दबे कुचले लोगों के लिए कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र के परोपकारी प्रवृति की भारत सरकार ने भी सराहना की है। सरकार इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों से भिन्न मान कर अब तक इन कुछ मामलों में छूट प्रदान की थी।

जब आय कर अधिनियम 1961 आया तो इस में परोपकारी कार्यों में कर को माफ कर दिया गया था, किन्तु अब लग रहा है कि यह छूट अधिक दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि सरकार ने नयी प्रत्यक्ष कर संहिता पेश की है जोकि वर्तमान आय कर अधिनियम 1961 एवं सम्पत्ति कर अधिनियम 1957 की जगह लेगा। सरकार ने इस विधेयक पर संसद में श्री यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में एक स्थाई समिति भी बनाई जिसका रिपोर्ट हाल ही में पेश किया गया है।

इस विधेयक में गैर–लाभकारी संगठनों के लिए विशेष प्रावधान बनाये गए हैं जिससे वह कर के दायरे में आ जाते हैं। अध्याय iv की धारा 90 से 103 में इन्हें कर लगाने की बात कही गयी है। नये विधेयक के मुख्य मुद्दे नीचे दिये गये हैं।

मुख्य मुद्देः

प्रस्तावित विधेयक में शब्द "परोपकारी उद्देश्य" को परोपकारी गतिविधियों में बदल दिया गया है। परिभाषा तो समान ही लगता है किन्तु इसके दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव आये हैं, क्योंकि अब सरकार संस्था के उद्देश्यों पर जोर न देकर उसके गतिविधियों के आधार पर तय करेगी कि ये संस्था परोपकारी है अथवा नहीं। स्थाई समिति ने इस सम्बंध में कहा है कि "सार्वजनिक महत्व के गैर–लाभकारी संस्था को और अधिक समावेशी होने के साथ–साथ कम मामलों में कार्यकारी निर्देशन की आवश्यकता हो।

- अभी तक स्वैच्छिक क्षेत्र को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, किन्तु नये विधेयक में उन से कर लिया जाएगा जो कि इस कोड में आधारित गणना के आधार पर होगा।

- इस प्रकार इस में महत्वपूर्ण बदलाव ये आये हैं कि अब गैर सरकारी संस्था को कर में छूट नहीं मिलेगा और वे एक कर दाता संस्था के रूप में बदल जाएगा।

- संस्थाएं जो इस क्षेत्र में संलग्न हैं वे अपने कार्यकलाप के आधार पर आय कर के विभिन्न धाराओं के तहत पंजीकृत किए जा सकते थे जैसे कि धारा 12ए अथवा 10(23)सी इत्यादि, नये विधेयक में से इन धाराओं को हटा लिया गया है अर्थात सभी गैर सरकारी संस्थाएं केवल एक ही आवेदन द्वारा पंजीकृत होंगें।

- आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार गैर–सरकारी संगठनों को दान देने वाले दाताओं को धारा 35 एसी के अनुसार दान में 100 प्रतिशत की छूट दी जाती है, किन्तु नये कोड में इसे हटा दिया गया है और अब इस प्रकार के दान पर 50 प्रतिशत ही छूट मिलेगी।

- धार्मिक ट्रस्ट या इस से संबंधित गैर–सरकारी संगठनों को इस अधिनियिम के दायरे से बाहर रखा गया है। किन्तु ये उचित विधियों के तहत पंजीकृत हो सकते हैं।

- वर्तमान में गैर–सरकारी संगठनों के पास ये विकल्प है कि वे अपने प्राप्त धन में से एक वर्ष के अन्दर 85 प्रतिशत खर्च कर सकते हैं और यदि 15 प्रतिशत धन बच जाता है तो वे उसे अगले वर्ष खर्च कर सकता है किन्तु नये विधेयक के अनुसार अब उन्हें 100 प्रतिशत धन खर्च करना होगा। इस संबंध में स्थाई समिति ने निम्न सिफारिश की:–

"समिति की यह राय है कि यदि इस तरह गैर लाभकारी संगठनों पर दबाव डाला जायेगा कि वे अपने सभी धन एक वर्ष में ही खर्च करे तो इस से उस का भविष्य अनिश्चित हो जायेगा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अतः समिति को सिफारिश करती है कि मौजूदा प्रावधानों को बहाल किया जाए ताकि ये संस्थाएं लम्बे समय तक स्थाई रुप से कार्य कर सकें"

- नये विधेयक में विभिन्न नये शब्दों का उपयोग किया गया है, जैसे कि "वित्तीय संपत्ति" निवेश की संपत्ति इत्यादि। इन्हें गैर सरकारी संगठनों की दृष्टिकोण से परिभाषित नहीं किया गया है।

- नये कोड में "वित्तीय संपत्ति" में निवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि अब "फिक्स्ड डिपोजिट" बनाने में कठिनाई होगी।

- मौजूदा अधिनियम पूंजीगत लाभ में सभी प्रकार की छूट की अनुमति देता है, कि पूरी राशि से अन्य संपत्ति में पुनः निवेश कर सकते हैं किन्तु नया कोड इस को आंशिक अनुमति ही देता है, और इस में ये भी स्पष्ट नहीं है कि "वित्तीय संपत्ति" है क्या?

- गैर सरकारी संगठन के उद्देश्य के लिए दिये गये सभी तरह के व्यय की अनुमति मौजूदा अधिनियम में है किन्तु नये कोड में इसका प्रावधान नही है।

- मौजूदा अधिनियम व्यय के रूप में "मूल्यह्रास" (संपत्ति के मूल्य में कमी) की अनुमति देता है किन्तु प्रस्तावित क्षेत्र में इस प्रकार की संभावनाओं को नकारा गया है।

- मौजूदा विधेयक एक्रुअल और नगद लेखा (अकाउन्टिंग) की अनुमति देता है किन्तु नया कोड सिर्फ नगद लेखा की अनुमति ही देता है। **इस संबंध में स्थायी समिति का कहना था कि समिति यह चाहती है कि लेखा प्रणाली में एक्रुअल एवं नगद दोनों गणना की विधि को लिया जाए और मौजूदा अधिनियम के प्रावधान को इसमें लिया जाए"**

- सर्वोच्च न्यायालय ने मौजूदा अधिनियम के आधार पर "थनथी की ट्रस्ट" मामले में यह फैसला दिया कि संस्था वैसी व्यापारिक गतिविधि भी कर सकती है जो उन से संबंधित नहीं भी हों,

किन्तु प्रस्तावित कोड में संस्थाएं सिर्फ कल्याणकारी व्यापारिक गतिविधि ही कर सकती है।

- मौजूदा अधिनियम किसी गैर सरकारी संगठन को व्यवसायिक संगठन में बदलने की प्रक्रिया पर चुप है, किन्तु नये कोड में यदि ऐसी प्रक्रिया होती है तब पूरे मूल्य का 30 प्रतिशत कर के रूप में देना होगा।

यदि कोई गैर सरकारी संगठन विघटित होती है और अपना धन दूसरे गैर सरकारी संगठन को देने में असफल रहती है तो उसे नये कोड के अनुसार अपनी पूरी सम्पत्ति का 30 प्रतिशत कर के रूप में देना होगा। मौजूदा विधेयक इस पर चुप है।

- मौजूदा अधिनियम में वार्षिक गतिविधियों की कोई बाध्यता नहीं है, किन्तु प्रस्तावित कोड में यह प्रावधान है कि संगठन यदि 5 वर्षों में से तीन वर्षों में यदि कोई कल्याणकारी गतिविधि नहीं करेगा तो उसकी पूरी संपत्ति कर योग्य हो जाएगी।

- मौजूदा अधिनियम के तहत व्यापार को कॉर्पस सम्पत्ति के रूप में लिया जा सकता है। नये कोड में ये लाभ नहीं दिया गया है।

हमारे ध्यान योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु

प्रस्तावित कोड के संबंध में मंत्रालय को निम्न बिन्दुओं पर पुनर्विचार करना चाहिए:–

- आय के आकलन में सकल प्राप्ति को लेना पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि गैर सरकारी संगठनों की कुछ प्रतिपूर्ति प्राप्ति (रिइम्बर्समेंट) इसके साथ ही गैर–सरकारी संगठनों को कानूनी दायित्वों एवं अनुबंध की बाध्यताओं से मुक्त रखना चाहिए।

- वर्ष में प्राप्त किये गए धन का 100 प्रतिशत प्रयोग अनिवार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ प्राप्तियां वर्ष के अंतिम दिन में भी होती हैं और इसे उसी वर्ष प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

- गैर–सरकारी संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से रोकना अत्यधिक घातक है और राष्ट्र के लिए भी हानिकारक है।

- यदि गैर–सरकारी संगठन वर्ष में कोई भी गतिविधियां नहीं करता है तो उसकी कुल सम्पत्ति का 30 प्रतिशत कर के रूप में लिया जाएगा नये विधेयक के इस प्रावधान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकतर गैर सरकारी संगठन बाहरी अनुदान पर आश्रित होते हैं परिणाम स्वरूप वे कभी–कभी वर्ष में कोई गतिविधि नहीं कर पाते हैं। अतः इस प्रावधान को विधेयक से हटाना चाहिए।

निष्कर्ष

गैर–सरकारी संगठनों के लिए यदि सरल और आसान प्रक्रिया के लिए यदि कर अधिनियम में सुधार किया जाए तो हम उसका स्वागत करते हैं, किन्तु ऐसा लगता है कि प्रस्तावित विधेयक इस कानून को और जटिल बना देगा। और इस कारण भविष्य में गैर सरकारी संगठनों को और काफी दिक्कतें झेलनी होंगी। इसलिए आवश्यक है उपरोक्त बिन्दुओं पर पुनर्विचार किया जाए और गैर–सरकारी संगठनों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। हम आशा करते हैं कि हमारे कानून निर्माता स्वैच्छिक क्षेत्र की इस आवाज को सुनेगें और इस ओर प्रर्याप्त कदम उठाएंगे।

स्रोत : डॉरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 तथा वित्तीय स्थाई समिति की रिपोर्ट पर आधारित

स्वैच्छिक नेतृत्व की आवाजः सुश्री एनी नमाला, निदेशक, सी.एस.ई.आई

"एनी नमाला भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जो दलित अधिकारों के लिए काम कर रही हैं। ये सेंटर फॉर सोशल इक्विटी एण्ड इन्क्लूजन (CSEI) की प्रमुख है। यह अछूत आंदोलन की प्रमुख आवाज़ है। शिक्षा अधिकार कानून (RTE) 2010 के लागू करने के लिए इन्हें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया। इन्होंने भेदभाव एवं बहिष्कार के विरूद्ध बच्चों की एकजुटता समूह (GCADE) के साथ काम किया"

1 समाज के संबंध में आप की वह सोच क्या थी जिसने आपको स्वैच्छिक क्षेत्र की ओर आकर्षित किया ?

जहां तक मेरे व्यक्तिगत दृष्टिकोण का सवाल है तो मैं जब बहुत छोटी थी तो ये नहीं समझ रही थी कि समाज क्या है। जब मैंने कॉलेज में प्रवेश किया उस समय मुझे समाज के विभिन्न स्वरूपों का पता चला और मुझे पता चला कि समाज में कितने प्रकार के समूह मौजूद है। मैंने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, सड़क के बच्चे एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है।

इससे हमें यह समझ में आया कि यदि समाज को संगठित करना है तो हमें इन्हें गंभीर रूप से एवं नये सिरे से संगठित करना होगा। हालांकि ये लोग कड़ी मेहनत करते हैं और परिवर्तन के लिये वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं किन्तु इन्हें परिवर्तन के लिये सामूहिक प्रयास करने होंगे। कुछ व्यक्तियों ने इसमें सफलता पाई है और अपनी स्थिति को बदलने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन मैं सोचती हूं यहाँ पर अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मैंने सामाजिक कार्य का अध्ययन सिर्फ शौकिया तौर पर नहीं किया बल्कि ये इस क्षेत्र में काम के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। मैंने लम्बे समय तक कृषि मजदूरों के साथ काम किया और उसे संगठित किया। भूमि हस्तान्तरण के मुद्दे, मजदूरों के मुद्दे तथा महिलाओं पर होने वाली हिंसा इत्यादि मुद्दों पर काम करने का मेरा एक

लम्बा अनुभव रहा है। मैं ये समझती हूँ कि नया समाज बनाने का कार्य करना चाहिए जो समानता और न्याय पर आधारित हो। मुझे लगता है कि असमानता एवं भेदभाव का मुद्दा समाज में अन्तर्निहित है। सामाजिक संरचना किस प्रकार भेदभाव पैदा करती है मुझे अब यह बहुत स्पष्ट लगता है।

2 आप अपने दूरगामी लक्ष्य को वास्तविकता में किस प्रकार बदल सकते हैं ?

कुछ मायनों में ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है और लोग जानते है कि वे इस परिस्थिति में क्यों हैं वे इसे बदलना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि दूसरे लोगों के साथ सहयोग हो और एकजुट होकर वे इस तरह का बदलाव लायें । मैंने अपने 25 वर्षों के कार्यकलापों में इस तरह के कई परिवर्तन देखे हैं। मैने देखा किस तरह समुदाय ने कानूनी प्रक्रिया में परिवर्तन लाया, मैंने देखा किस

तरह समुदाय अपने अधिकारों को लेकर आगे आया। मैंने यह भी देखा कि वह भी इस प्रक्रिया में हमारे साथी बने। मैं बहुत सारे परिवर्तन होते हुए देख रही हूँ।

3 आप की राय में भारत में स्वैच्छिक क्षेत्र का क्या भविष्य है ?

मुझे लगता है कि हमारे जैसे देश में स्वैच्छिक क्षेत्र तथा नागरिक समाज बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योकि यहां समस्या सिर्फ समाज के साथ ही नहीं है बल्कि हमारी समस्या सरकार के भीतर प्रशासन तंत्र से है। जिसमें सरकार द्वारा आवंटन इसे लागू करना एवं प्रशासनिक जिम्मेदारी के मुद्दे आदि। इस तरह सरकार के साथ बहुत सारी समस्याऐं है। लेकिन ये समस्याऐं इसलिए हैं क्योंकि समाज भी इसी तरह व्यवस्थित है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जिसकी ओर सरकार ने कभी ध्यान नही दिया। सरकार का इसकी ओर ध्यान आकृष्ट हो उस के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। यह प्रयास न सिर्फ इन वंचित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए बल्कि इस में अन्य लोगों को भी शामिल होना चाहिए। यहाँ वे नागरिक समाज एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं मैं यहाँ नागरिक समाज में यह अंतर बताना चाहती हूँ कि नागरिक समाज हाशिये पर मौजूद लोगों द्वारा भी बनाये जाते है। यहाँ मैं ये अंतर इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ये नागरिक समाज समुदायों, लोगों से मिलकर बनता है जो की हाशिए पर स्थित लोग होते हैं यही नागरिक समाज भविष्य में बदलाव के महत्वपूर्ण कारक बनेगें। हमारे समाज के अंदर भी बहुत सारी असमानताएँ एवं भेदभाव हैं यहां पर मैं समझती हूँ कि नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये समग्र समाज ही ना कि सिर्फ सरकार बनाम जनता, के बदलाव में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न है। मैं जानती हूँ कि सरकार इनके कार्यों की मान्यता नहीं देंगे लेकिन इतना अवश्य है कि सरकार इनके कार्यों से अवगत हैं

> **जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है जिसकी ओर सरकार ने कभी ध्यान नही दिया। सरकार का इसकी ओर ध्यान आकृष्ट हो उस के लिए बहुत कोशिश करनी होगी। यह प्रयास न सिर्फ इन वंचित लोगों द्वारा किया जाना चाहिए बल्कि इस में अन्य लोगों को भी शामिल होना चाहिए।**

4 स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका को आज आप किस तरह देखते हैं इसके लिए आप के सुझाव क्या है ?

मैं समझती हूँ हमारे देश में स्वैच्छिक क्षेत्र को तीन से चार दशकों का अनुभव है जिसमें से कई संस्थाएं आगे आई हैं अब हमारे पास विभिन्न प्रकार की स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो कि सामुदायिक स्तर पर काम करती हैं वे विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं और वे इन पर विशेषताएं भी प्राप्त करते हैं इस प्रकार स्वैच्छिक क्षेत्र विभिन्न स्तरों पर काम करते हैं ये विविध कार्य करते हैं जैसे समुदाय को संगठित करने मे सेवा कार्य में, मध्यस्थ की भूमिका में जन वकालत के कार्य में इत्यादि किन्तु जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि संगठनों को आपस में सहयोग करना होगा एवं विभिन्न संगठनों को अपनी तकनीकी ज्ञान तथा विशेषता का आपस में आदान प्रदान करना होगा। इस प्रकार मैं समझती हूँ कि इस प्रकार के प्रयास अवश्य मददगार साबित होगें।

— साक्षात्कार जकी अहमद द्वारा किया गया

राज्य की स्थिति – छत्तीसगढ़

— (छतीसगढ़ राज्य पर वाणी द्वारा किये गए शोध अध्ययन पर आधारित)

छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया जब मध्य प्रदेश के 16 जिलों को अलग कर नये राज्य का गठन किया गया। 2012 तक इसमें 16 और नये जिले बनें जिससे इस राज्य में जिलों की कुल संख्या 27 हो गई है। यह राज्य मुख्यतः आदिवासी बहुल है और राज्य का 44 प्रतिशत भाग जंगलों से ढका हुआ है जो कि भारत में जंगलों का सबसे बड़ा भाग है। छत्तीसगढ़ देश का नवां बड़ा राज्य है यहां प्रचूर मात्रा में खनिज पाये जाते हैं। यहां हीरा समेत कई कीमती खनिज पाये जाते हैं। राज्य में बड़े उद्योग भी हैं, इनमें लोहा, एल्यूमिनियम, सीमेंट, माईनिंग इत्यादि प्रमुख हैं।

छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की बहुलता है और ये राज्य की एक तिहाई (32.5 प्रतिशत) हैं, किन्तु सिर्फ 4 प्रतिशत आदिवासी ही शहर में रहते हैं जबकि अधिकतर आदिवासी घने जंगलों में रहते हैं। आदिवासियों में गरीबी बहुत अधिक है।

स्वैच्छिक संगठनों की स्थितिः

राज्य में स्वैच्छिक संगठन को मुद्दों एवं विषयों के संचालन के आधार पर अलग किया जा सकता है। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख मुद्दे और विषय निम्न प्रकार हैं:

1. आजीविका और खाद्य सुरक्षा
2. स्वास्थ्य
3. शिक्षा
4. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
5. संवैधानिक एवं मानवाधिकार आधारित
6. आपातकालीन राहत कार्य
7. पर्यावरण
8. संघर्ष समाधान एवं शांति निर्माण

राज्य में पंजीकृत स्वैच्छिक संस्थाओं की कुल संख्या 34,919 है किन्तु 304 संस्थाएं एफ.सी.आर.ए. के अधीन पंजीकृत हैं। सर्वाधिक स्वैच्छिक संस्थाओं वाले जिले हैं, रायपुर, बिलासपुर, जसपुर और दुर्ग।

स्वैच्छिक संगठनों के सामने चुनौतियां:–

राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं को निम्न तीन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

क) लाईन विभाग एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न
ख) अनुदान संबंधित चुनौतियां
ग) पंजीकरण संबंधित चुनौतियां

लाईन विभाग एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न: लाईन विभाग से स्वैच्छिक संस्थाओं को निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

1. **गैर जिम्मेदाराना और घमंडी रवैया**
2. **स्वैच्छिक संस्थाओं को श्रेय देने को तैयार नहीं**
3. **व्यापक जिरह**
4. **कागजी कामों में चालाकी से उलझाने की रणनीति**
5. **पुलिस तथा स्थानीय अधिकारी द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में, संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप**
6. **धमकियां**
7. **भ्रष्टाचार**

- **गैर जिम्मेदाराना और घमंडी रवैया:** लाईन विभाग के अधिकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता साथियों से गैर जिम्मेदाराना रवैये से बात करते हैं। ब्लॉक एवं जिला के अधिकारी भी स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।

- **स्वैच्छिक संस्थाओं को श्रेय देने को तैयार नहीं:** लाईन विभाग स्वयं सेवी संस्थाओं को उनके कार्य का श्रेय नहीं देते हैं, यह एक सामान्य प्रवृर्ति है कि वे गैर–सरकारी संगठनों पर आरोप लगाते हैं कि वे समस्याओं को काल्पनिक तौर पर बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश करते हैं।

- **व्यापक जिरह:** स्वैच्छिक संगठनों को अधिकतर मामलों में व्यापक एवं अनावश्यक जिरह का सामना करना पड़ता है। ये जिरह सगठनों के फडिंग, कानूनी एवं कागजी कार्यवाही के दौरान लाईन विभाग द्वारा किया जाता है। ये लाईन विभाग द्वारा संस्थाओं को अपने दृष्टिकोण से हटाने के लिए उत्पीड़न के सामान्य तरीके हैं।

- **कागजी कामों में चालाकी से उलझाने की रणनीति:** यह स्वैच्छिक संस्थाओं के सम्मुख महत्वपूर्ण समस्या है क्योंकि यदि स्वैच्छिक संस्थाएं लाईन विभाग की समझ उसकी जिम्मेदारी से संबंधित मुद्दे उठाती है तो लाईन विभाग चालाकी से उसे कागजी कामों में उलझा देते हैं और जानबूझ कर देरी करते हैं ताकि संस्थाएं हतोत्साहित हों।

- **पुलिस तथा स्थानीय अधिकारी द्वारा नक्सल प्रभावित जिलों में, संगठन के कार्यों में हस्तक्षेप:–** राज्य में नक्सल विरोधी अभियान के आरम्भ के पश्चात् पुलिस का हस्तक्षेप संगठनों पर बहुत बढ़ गया है। स्वैच्छिक संगठनों को अपने कार्यकलाप और अपने कार्यकर्ताओं की गतिविधियों की दैनिक जानकारी थाने को देनी पड़ती है। नक्सल प्रभावित जिलों में यह भी अनिवार्य कर दिया गया है कि यदि गांव में भी कोई बैठक होगी तो दो दिन पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी यदि संस्थाएं ऐसा करने में विफल रहती हैं तो उस के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस कारण नक्सल प्रभावित जिलों में संगठन के कामों पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

- **धमकियां:** स्वैच्छिक संस्थाओं को लाईन विभाग से परोक्ष रूप से धमकियां मिलती हैं विशेषकर तब जब संस्थाएं लाईन विभाग के विरुद्ध मुद्दे उठाती हैं। सरकारी लाईन विभाग की संस्थाओं के कार्य जैसे कि एन.आर.ई.जी.ए., सार्वजनिक विवरण प्रणाली,

वनाधिकार कानून इत्यादि कामों की कभी सराहना नहीं की बल्कि संस्थाओं और इनसे संबंधित व्यक्तियों को नक्सल समर्थक घोषित करने की धमकी देने लगे।

- **भ्रष्टाचारः–** लाईन विभाग के भीतर भ्रष्टाचार एक आम बात हैं। स्वैच्छिक संगठनों को काम करने में इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

अनुदान संबंधित चुनौतियां:

निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां स्वैच्छिक संगठनों के समक्ष हैं–

- **अनुदान की मात्रा में गिरावटः** राज्य में विगत पांच वर्षों में अनुदान की मात्रा में कमी आई है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु सामान्य प्रवृर्ति यह दर्शाती है कि राज्य में अनुदान की मात्रा में कमी आयी है, विशेष कर विदेशी अनुदानों में, यह कमी स्वैच्छिक संस्थाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

- **संघर्ष क्षेत्र में अनुदानों की निवेश में कमीः** उग्रवाद एवं हिंसा प्रभावित जिलों में दानदाता ऐजेंसियां निवेश करने से झिझकती हैं। कुछ ऐजेंसियों ने अपनी एक नीति "संघर्ष क्षेत्र में काम नहीं" बना रखी है जिससे जमीनी स्तर पर जुड़े संगठनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है क्योंकि इन्हें अपने काम के लिए धन जुटाना बहुत मुश्किल होता है।

- **स्वैच्छिक संगठनों के बीच बढ़ती भ्रष्टाचारः** विगत वर्षों में स्वैच्छिक संगठनों में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। नये नस्ल के ये संगठन सामाजिक सेवा के नाम पर धन जमा करने में जुटे हैं। इस प्रकार के संगठन सामान्यतः भ्रष्ट सरकारी अधिकारी, राजनीतिज्ञ, ठेकेदार तथा व्यापारियों के संरक्षण में कार्य करते हैं। वर्तमान में कोई ऐसी विधि नहीं है जिससे अच्छे संस्थाओं को इन बुरे संस्थाओं से अलग किया जा सके।

- **सरकार की कड़ी अनुदान नीति एवं कानूनः** सरकार दिन प्रतिदिन अनुदान कानूनों को कठिन से कठिन बना रही है, विशेष तौर पर सरकार एफसीआरए कानून को संशोधन करके और कठोर बना रही है। जिससे विदेशी अनुदान प्राप्त करना काफी कठिन हो गया है। नये कानून के मुताबिक एफसीआरए पंजीकरण का प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकरण करना पड़ता है। जो संस्थाएं "अधिकार आधारित" दृष्टिकोण पर कार्य करती हैं उसे डर है कि कहीं उन का नवीनीकरण नहीं किया जाए।

- **अधिकार आधारित दृष्टिकोण पर काम करने वाले संस्थाओं को कम अनुदानः** बहुत ही कम ऐसी एजेंसियां हैं जो अधिकार आधारित मुद्दों पर काम करने वाले संस्थाओं को अनुदान देती है। बहुत ही कम ऐजेंसियां हैं जो, प्रशासन, लोगों के अधिकार सरकार की जिम्मेदारी इत्यादि पर आधारित परियोजनाओं को अनुदान देने की हिम्मत दिखा पाती हैं।

- **अनुदान प्राप्त करने की तकनीकी दक्षता का आभाव विशेषतः जमीनी स्तर के संगठनों मेंः** वर्तमान समय में परियोजना आधारित अनुदान एवं संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृर्ति के कारण अनुदान प्राप्त करना काफी तकनीकी हो गया है। इसके परिणामस्वरूप जमीनी स्तर के स्वैच्छिक संस्थाओं को दानदाताओं के दिशा निर्देशों को पूरा करने में तकनीकी तौर पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

पंजीकरण संबंधित समस्याएं:

- **पंजीकरण की प्रक्रिया की सटीक जानकारी का आभावः** गैर–सरकारी संगठनों के पास पंजीकरण कराने की मानक प्रक्रिया की स्टीक जानकारी का आभाव है। इन्हें ये जानकारी आसानी से उपलब्ध भी नहीं होती है। यदि कोई नये समूह जोकि पंजीकरण कराना चाहते हैं वे स्वैच्छिक क्षेत्र के अपने सहयोगियों से संपर्क करते हैं।

- **पंजीकरण की लम्बी प्रक्रिया एवं व्यापक कागजी काम:** सरकार ने पंजीकरण की प्रक्रिया को इतना कठोर बना दिया है कि गैर–सरकारी संगठनों को पंजीकरण कराने में व्यापक कागजी काम तथा सत्यापन इत्यादि के कड़े नियम के कारण इन्हें काफी कठिनाई होती है एवं पंजीकरण के इच्छुक समूहों को सरकारी दफ्तर के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

- **गैर–सरकारी संगठनों को प्रस्तावना तैयार कराने में रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा हस्तक्षेप:** रजिस्ट्रार कार्यालय का ये कहना है कि नियम के मुताविक आप अपनी प्रस्तावना बनाएं इसके आधार पर वे उन समूहों के वास्तविक उद्देशों को बदलने का प्रयास करते हैं।

- **बिचौलियों की भूमिका:** गैर–सरकारी संगठनों के पंजीकरण में बिचौलियों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये बिचौलिए सरकारी अधिकारी के साथ गठजोड़ करके इनकी फाइलों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन बिचौलियों की पकड़ इतनी मजबूत है कि वे हर प्रकार के पंजीकरण जैसे गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ), एफसीआरए, 80जी इत्यादि कराने में सक्षम होते हैं और उन्होंने सभी के दर भी तय कर रखे हैं।

निष्कर्ष:

स्वैच्छिक क्षेत्र एक कठिन दौर से गुजर रहा है। बाहरी माहौल काफी कठिन होता जा रहा है एवं इनकी स्थितियों को व्यवस्थित ढंग से चुनौतियां दी जा रही हैं। सरकार के दृष्टिकोण से कानून एफसीआरए नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरुप संस्थानों को स्वतंत्र रूप से गरीबों के लिए काम करने में काफी जोखिम उठानी पड़ रही है।

स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य सरकार के साथ उसके कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में सहायता करनी चाहिए साथ ही साथ संस्थाओं को चाहिए कि वे सरकार के कामों और उसकी जिम्मेदारियां बताने में प्रहरी की भूमिका भी निभाए।

भविष्य की नीतियां तथा सुझाव:

1. यहां तत्काल रूप से एक अभियान चलाने की जरूरत है जिससे स्वैच्छिक संस्थाओं का एक नेटवर्क बन सके जिसका एक संस्थागत संरचना हो और भौगोलिक रूप से (जिला, ब्लॉक), पूरे राज्य में मौजूद हो। ये स्वैच्छिक संस्थाओं को महत्वपूर्ण योगदान देगी। विशेषतः शक्तिशाली समूहों की चुनौतियों का सामना करने इत्यादि में।

2. स्वैच्छिक क्षेत्र में सर्वमान्य रूप से स्वीकृत "विश्वसनीयता रैकिंग तंत्र" की स्थापना करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे स्वैच्छिक क्षेत्र की छवि और गुणवत्ता की सुरक्षा होगी।

3. राज्य स्तर पर एक कानूनी सहायता सेल की आवश्यकता है, ये सेल स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग और अगर संभव हो तो अनुदान से चल सकता है। ये सेल स्वैच्छिक संस्थाओं पर होने वाले अत्याचार को कानूनी सहायता से सुरक्षा प्रदान करेगी।

4. स्वैच्छिक संस्थाओं एवं मीडिया के बीच एक मजबूत संबंध की आवश्यकता है क्योंकि मीडिया नागरिक समाज के कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः यह राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

5. दानदाता एजेंसियों को वे बंधन तोड़ने की आवश्यकता है जिस कारण वे जमीनी स्तर के संस्थाओं को अनुदान नहीं दे पाते हैं। इसके लिए प्राथमिक तौर पर जमीनी स्तर की संस्थाओं को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

6. स्वैच्छिक संस्थाएं राज्य प्रशासन के अंदर वैसे तत्व की पहचान करे जो कि उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो, इससे उन्हें प्रशासनिक और कानूनी मुद्दे में सहायता मिलेगी।

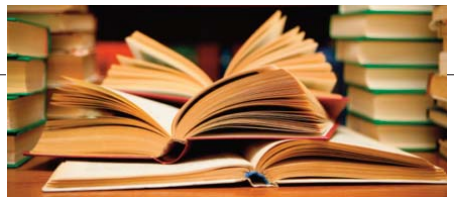

अनुदान पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन

(ये वाणी द्वारा किए गए शोध अध्ययन इंडिजिनियस रिसोर्स मोबलाईजेशन फार वालेंटरी सेक्टर : ऑपसन एंड चैलेंजेज पर किए शोध का सारांश है)।

विगत वर्षो से हालात तेजी से बदल रहें है। और हमें अनुदान पद्धति में परिवर्तन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखई दे रहे हैं। अनुदान की प्रकृति मात्रा एवं शर्तों मे महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि धन के जो स्रोत बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय ऐजेन्सियों द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को उपलब्ध कराई जाये। ये अब उस तरह नहीं हो रहे हैं। और वे भारत में अपने अनुदान को कम कर रहे हैं।

विगत वर्षो में हमने अनुदान पद्धति में जो बदलाव देखा है वह निम्न है :

क) बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संस्थाओं से सहायता में कमी : यह प्रवृति बढ़ रही है कि अब ये संस्थाऐं और ऐजेन्सियां अपने अनुदान को सीधे तौर पर सरकारी सहायता वाले प्रमुख कार्यक्रमों को दे रही हैं।

*"OECD-DAC सदस्य सरकारों की समग्र मानवीय व्यय– जो इस समय मे प्रमुख अनुदानदाता है उससे यह अनुमान लगाया गया है कि 2010 में इसमें वृद्वि हुई है, किन्तु इस में आंशिक बढ़ोतरी सिर्फ तीन अनुदानदाता अमेरिका ($43 करोड़),जापान ($27.5 करोड़), एवं कानाडा ($12.9 करोड़), हालांकि मानवीय समस्या के लिए समग्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मे बढोतरी दर्ज हुई है। **कई अनुदान दाताओं ने मौजूदा स्तर पर हो रहे खर्च के लिए दबाव बनाया है। आठ OECD-DAC सदस्यों ने 2010 में लगातार तीसरे वर्ष मे अपने व्यय में कमी की है।"***

-GHA रिपोर्ट 2011

ख) विदेशी अनुदान संग्रह की प्रवृतियाँ (2001–2011): गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अनुदान पर जारी आंकडों के अनुसार वर्ष 2010–2011 में कुल 40575 गैर सरकारी संगठन FCRA के तहत पंजीकृत थीं। इसमें से 22,735 संस्थाओं ने रिटर्न भरी थी और बताया कि उन्होंने 10334.12 करोड रूपये की विदेशी सहायता प्राप्त कि जो कि 2006–07 (11336.97 करोड रूपये) से तुलना मे कम है। पंजीकृत संस्थाओं कि संख्या मे विगत 10 वर्षो में बढ़ोतरी हुई है किन्तु विदेशी अनुदान 2007–8 से घटा है।

"जाहिर है, स्वैच्छिक संगठनो के लिए अनुदान की पद्धति में स्पष्ट परिवर्तन आया है। बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऐजेन्सियां उनको सहायता मे तेजी से कटौती कर रही हैं। जबकि संस्थाएं लम्बे समय तक इस पर निर्भर रहती थी। हमें अब इसके वैकल्पिक रूप तलाशने होंगें जैसे कि व्यक्तिगत दानदाता और सरकारी अनुदान इसके साथ ही कॉर्पोरेट अनुदान को भी शामिल करना होगा।"

— जयंत कुमार , अध्यक्ष, वाणी

- अमेरिका भारतीय गैर सरकारी संगठनों के लिए लगातार सबसे बड़ा अनुदान दाता बना है। वे कुल अनुदानों का लगभग एक तिहाई 10,334 करोड़ अनुदान देता है।

- गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010–11 के नवीनतम आंकडों के अनुसार ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा और जर्मनी को पीछे किया।

- इन आंकडों से पता चलता है कि अमेरिका ने 3260 करोड़ रूपये, ब्रिटेन ने 1065 करोड़ रूपये, जर्मनी ने 1007 इटली ने 490 करोड रूपये तथा नीदरलैण्ड ने 468 करोड रूपये भारतीय संस्थाओं को अनुदान मे दिये।

> ***कई कार्पोरेट ने स्वंय के फाउण्डेशन का निर्माण कर लिया है जैसे कि गुड अर्थ फाउण्डेशन जिसे Eicher समूह ने स्थापित किया है।***

- मंत्रालय की रिपोर्ट का विशलेषण करने पर पता चलता है कि उपरोक्त पाँच देश भारतीय गैर सरकारी संगठनों को 50 प्रतिशत से अधिक का विदेशी अनुदान देते हैं।

- 2010–11 के दौरान सर्वाधिक विदेशी अनुदान रू 863 करोड़ ग्रामीण विकास पर काम करने वाली संस्थाओं को मिला, इसके पश्चात रू. 745 करोड़ बाल कल्याण पर काम करने वाली संस्थाओं को तथा रू. 681 करोड़ स्कूल एवं कॉलेजों के निर्माण एवं रखरखाव करने वाली संस्थाओं को मिले। वर्ष 2008–09 में भी इसी प्रकार की प्रवृति देखने को मिली थी एड्स जागरूकता अभियान में भी विगत 5 वर्षों से प्रमुख रूप से अनुदान दिए जाते है।

- भारतीय गैर सरकारी संगठनो ने संयुक्त रूप से विगत 5 वर्षो में रू. 52,145 करोड़ (वर्ष 2006–07 से 2010–11) प्राप्त किये हैं। कुल 22,735 संस्थाओं ने वर्ष 2010–2011 में अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए अनुदान प्राप्त किये जब कि 2009–10 में इनकी संख्या 21,508 थी।

- गैर सरकारी संगठनों के लिए सीमा पार की अनुदान जमा करना एक महत्वपूर्ण साधन था किन्तु 2006–07 की आर्थिक मंदी के बाद इस में गिरावट आई है। द्विपक्षीय अनुदान एजेन्सियां भारत से बाहर जा रही है तथा बहुपक्षीय एजेन्सियां अब सरकारी परियोजनाओं को लक्षित कर रही है।

ग) भारत में निजी दानदाताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है:

भारत में अनुदान लेने के स्तर की सूचना प्राप्त करना दुर्लभ है। क्योंकि विभिन्न दाताओं की सूचना विभिन्न स्थानों पर है। मुख्यतः ये इसलिए है कि दानदाता औपचारिक रूप से सामने नहीं आते ऐसा माना जाता है कि ये धन करोडों रूपये शायद अरबों रूपयों की निजी सम्पत्ति में है। जो कि भारत की सामाजिक समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से खर्च किया जाए। इनमें से महत्वपूर्ण मात्रा गैर सरकारी संगठनों को भी मिलती है।

निजी दाता निम्न प्रकार के है:

व्यक्तिगत: इसमें भारतीय नागरिक, अप्रवासी भारतीय अथवा जो भारत के साथ भावनात्मक लगाव रखते हैं इत्यादि आते है। भारत में व्यक्तिगत दान काफी हद तक बढा है।

"निजी दान 2010 में भारत मे तेजी से बढ़ा है। 40 प्रतिशत धनी व्यक्तियों ने अगले 5 वर्षो मे अपने दान को बढ़ाने की योजना बनाई है। धनी भारतीयों की दान निजी दाता के रूप में 2006 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा है।"

–India Philanthropy report 2011

तकनीकी विकास के कारण अनुदान की प्रवृत्ति मे भी महत्वपूर्ण बदलाव आए है।

"ऑन लाइन मंच युवा एवं मध्यवर्गीय लोगों के परोपकारिक गतिविधियों के लिए एक प्रभावशाली मंच उपलब्ध करवाता है।

– अमिता पुरी CAF India

ट्रस्ट तथा फाउन्डेशन: – इसमें भी दो प्रकार के दानदाता संस्थाएं हैं एक जो भारत आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि मिलिंडा गेट फाउंडेशन तथा माईकल एवं सुसान डेल फाउंडेशन जिसके दफ्तर भारत में हैं इत्यादि। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाएं (INGOs) जैसे Care तथा Oxfam इत्यादि विशेषज्ञ फाउंडेशन के रूप में हैं तथा अपने भारतीय सहयोगियों को अपने कार्यक्रमों के लिए अनुदान देते हैं।

कार्पोरेट: – कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के वैश्विक स्तर पर बढ़ते चलन के कारण भारतीय निजी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रीय कार्पोरेशन ने इस में अपना प्रभाव बढ़ाया है। इन में से कई कार्पोरेट ने स्वंय के फाउण्डेशन का निर्माण कर लिया है जैसे कि गुड अर्थ फाउण्डेशन जिसे Eicher समूह ने स्थापित किया है।

स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए सरकारी वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी हुई है।

सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा दिए गये निम्न तालिका में 2010–11 में धन की मंजूरी निकासी का विवरण है।

(लाखों में)

योजना का नाम	2010-11			2007-08		
	स्वीकृत राशि	जारी की राशि	लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत राशि	जारी की राशि	लाभार्थियों की संख्या
अभिनव योजना	26.07	38.62	805			
महिला सशक्तिकरण की एकीकृत योजना	58.93	35.55		19,04,000	9,52,000	
जागरूकता सृजन परियोजना	350.00	87500	548.49	307.67	132150	
लघु आवास कार्यक्रम	2548.51	2445	19961	1672.87	1499.74	19440
महिलाओं के शिक्षा कार्यक्रम के संक्षिप्त पाठ्यक्रम	783.10	744.99	19500	687.30	214.71	15675

मंत्रालय	विभाग	2011-12 (अनुमान बजट)	2009-10	2000-01
ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण विकास विभाग	74100	63095	6370
	कॉन्सिल फॉर एडवान्समेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टैक्नोलॉजी (कपार्ट)			
	पेयजल आपूर्ति विभाग	1000	9196	2100
	भूमि संसाधन विभाग	2700	2018	800
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		5375	2449	1173
संस्कृति मंत्रालय		785	573	225
जनजातीय मामलों का मंत्रालय		1430	616	150
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय		12650	8482	1650
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		5375	2449	1173
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	23560	16568	
	आयुष विभाग	900	679	
	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	600	400	
	नाको विभाग			
	एड्स नियंत्रण केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा विभाग	1700		
कुल		**26760**	**17647**	**4478**

[1] http://indiabudget.nic.in/ub2001-02/bag/bag4-2.htm accessed on November 29, 2011.

[2] In 2000-01 there was a combined ministry for tourism and culture but later on it was divided into two i.e. ministry of tourism and a separate ministry of culture. In 2000-01 Ministry of tourism and culture had been granted 405 crores (180 for department of tourism and 225 for department of culture).

[3] In 2000-01 department of women and child development was a part of ministry of human resource development but now there is a separate ministry of women and child development.

[4] The departments under ministry of health and family welfare in 2000-01 were different. So total amount released to ministry in 2000-01 has been mentioned above.

मंत्रालय	विभाग	2011-12 (अनुमान बजट)	2009-10	2000-01
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	38957	21858	3250
	उच्च शिक्षा विभाग	13103	7782	1700
पर्यावरणीय एवं वन मंत्रालय	वन और पर्यावरण विभाग			
	राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड			
	वन और पर्यावरण विभाग			
कुल		2300	1630	610
कृषि मंत्रालय		13662	9405	2507
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		7955	4555	3455
युवा मामले और खेल मंत्रालय		1000	2935	215

सरकारी सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की सीमाएं:

सरकार कई संस्थाओं को अनुदान देती है। किन्तु इस के कुछ नुकसान भी है जो निम्न है।

- ये विशिष्ट सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध होते हैं इसमें से अधिकतर अनुदान अनुदानदाता के मुताबिक होता है। न कि परियोजना अथवा जन केंद्रित होता है।

- सरकारी अनुदान के उपयोग में नियम और कानून का बंधन होता है फलतः अधिक कागजी काम करना पड़ता है जिससे संगठन का काम करने की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है एवं नौकरशाही आधिक प्रखर होती है।

- सरकारी अनुदान की शर्ते संगठनों के पहल प्रयोग एवं आत्मनिर्भरता के मामले मे इनके हाथ बांध रखे हैं।

- प्रक्रिया में देरी के कारण सरकारी अनुदान समय पर नही मिलते हैं। सरकार द्वारा थोपी गई शर्तो को जमीनी स्तर के बहुत कम संस्था पूरा कर पाती हैं। इस का परिणाम यह होता है कि बड़ी संस्थाओं को सरकारी अनुदान की बहुत बड़ी मात्रा मिल जाती है और उन का इस पर एकाधिकार रहता है।

- छोटे जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वैच्छिक संस्थाएं जो अधिक सामाजिक प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ कार्य करती हैं उन्हें गंभीर वित्तीय संकट से गुजरना होता है।

निष्कर्ष:

स्वैच्छिक क्षेत्र के भीतर कई महत्तवपूर्ण बदलाव आये हैं पहला तो यह है कि इस बदलते माहौल में ये अपने आप को बनाये रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बदलाव उस के मौलिक रूप में नही होने चाहिए और इस क्षेत्र को एक संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ताकि ये क्षेत्र प्रभावी ढंग से अपना कार्य कर सकें।

ये वाणी द्वारा किए गए शोध अध्ययन इंडिजिनियस रिसोर्स मोबलाईजेशन फार वालेंटरी सेक्टर : ऑपसन एंड चैलेंजेज पर किए शोध का सारांश है।

> “सरकार द्वारा थोपी गई शर्तो को जमीनी स्तर की बहुत कम संस्था पूरा कर पाती हैं। इस का परिणाम यह होता है कि बड़ी संस्थाओं को सरकारी अनुदान की बहुत बड़ी मात्रा मिल जाती है और उन का इस पर एकाधिकार रहता है।”

आपके लिए उपयोगी खबरें:

स्वैच्छिक क्षेत्र को सरकारी अनुदान की देख रेख के लिए एक पैनल बनाने का अहवान

एशियन सेन्टर फॉर हयूमेन राइट (ACHR) को रिपोर्ट के अनुसार भारत में सरकारी अनुदान पर आधारित संस्थाओं में घोटाले नजर आते हैं एवं इसे सुधारने की आवश्यकता है, इसके लिए एक पैनल बनाने का अहवान किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार सूचना के अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी से पता चलता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार गैर सरकारी संगठनों को वर्ष 2002–03 में कम से कम 6,654.35 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में दिए। सर्वे में यह भी पाया गया कि परियोजना की स्वकृति में रिश्वत की बहुत बड़ी भूमिका है।

http://www.thehindu.com/news/national/call-to-set-up-panel-to-route-government-funds-for-voluntary-bodies/article4326753.ece

राज्य को हॉकिंग नीति वर्ष 2010 से धूल खा रही है।

सर्वोच्च न्यायलय के निर्देश के पाँच वर्ष बाद भी राज्य सरकार ने फेरीवालों के लिए जो नीति 2010 में बनाई थी वो दफतरों मे धूल खा रही है। राजनीतिज्ञों तथा नौकरशाहों के कारण यह नीति नही बनी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि फेरीवालों के लिए नीति बहुत ही आवशयक है किन्तु सरकार इसे लागू नही कर पा रही है।

http://www.hindustantimes.com/India-news/Mumbai/State-s-hawking-policy-gathering-dust-since-2010/Article1-990865.aspx

महिला सुरक्षा में भारत की खराब रैंकिंग:

भारत महिलाओं के प्रति यौन हिंसा रोकने में असफल रहा है तथा महिलाओं को बोलने की आजादी अभी भी सीमित है यह बात "हयूमेन राइट वॉच" ने अपनी ताजा रिपोर्ट "वर्ल्ड रिपोर्ट 2013" मे कही है।

665 पन्नों की "वर्ल्ड रिपोर्ट 2013" में सरकारी पहल जैसे कि पुलिस सुधार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सुधार आदि में खराब क्रियान्वयन के कारण कमी आयी है।

http://www.thehindu.com/news/national/india-rated-poorly-against-protection-of-women/article4372509.ece

भारत स्वास्थ्य आँकडों के डिजिटाईजेशन के लिए 3.4 करोड अमेरिकी डालर खर्च करेगा

भारत सरकार केरल सरकार के सहयोग से "एफ ई स्वास्थ्य परियोजना" चलाएगी जिसमें स्वास्थ्य आंकड़ों का डिजिटाईजेशन होगा इसके लिए सरकार 1.83 अरब रूपये ($3.4 करोड) खर्च करेगी।

http://www.futuregov.asia/articles/2013/jan/26/india-invest-us-34-mil-digitising-health-data/

भारतीय शहरों में जी.आई.एस. के द्वारा अपराध की निगरानी की जाएगी

महिलाओं के विरूद्ध होने वाली यौन हिंसा को रोकने के लिए चण्ड़ीगढ पुलिस ने एक योजना बनाई है जिससे भौगोलिक सूचना त्ंत्र (GIS) द्वारा अपराध क्षेत्र पर निगरानी रखी जाएगी

चंड़ीगढ़ पुलिस के अनुसार इस सिस्टम के होने से हमें अपराधों की निगरानी करने में हमें सहायता मिलेगी और हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकेंगे।

http://www.futuregov.asia/articles/2013/jan/30/indian-city-monitor-crime-gis/

भारत में बालिका विद्यालयों के CCTV कैमरे लगाए जाएंगें

दक्षिण दिल्ली नगर पालिका ने यह घोषणा की है कि वे 179 बालिका विद्यालयों में CCTV कैमरे लगाएंगे एवं महिला सुरक्षा गार्ड की बहाली करेंगें जिससे बालिकाओं की देखभाल हो सके।

http://www.futuregov.asia/articles/2013/jan/28/india-install-cctv-camera-girl-schools/

मद्रास उच्च न्यायालय ने दो गैर सरकारी संगठनों के FCRA निरस्तीकरण के सरकारी फैसले को रद्द किया।

मद्रास उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय द्वारा दो गैर सरकारी संगठन "रूरल अपलिफ्टमेंट सेंटर" (RUC) तथा "गुड विजन" के FCRA के निरस्तीकरण के फैसले को गलत बताते हुए सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया।

गैर सरकारी संगठन द्वारा दिए गए रिट याचिका पर आदेश देते हुए जस्टिस एस. विमला ने कहा कि विदेश मंत्रालय के 9 फरवरी के आदेश को रद्द किया जाता है क्योंकि गैर सरकारी संस्थाओं को बोलने का मौका नहीं दिया गया जोकि प्राकृतिक न्याय के नियम का उल्लघन है।

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/centres-ban-on-two-ngos-receiving-foreign-funds-set-aside/article4092388.ece

वैश्विक खबरें:

फ्रांसीसी सरकार ने कामगारों के खिलाफ दमन की तैयारी शुरू की फ्रांसीसी राष्ट्रपति हॉलेण्डे ने खुफिया पुलिस को कामगारों की निगरानी के आदेश दिये है, ये कामगार कारखानों के बंद होने से बडे पैमाने पर बेरोज़गारी झेल रहे हैं।
http://www.wsws.org/en/articles/2013/02/09/fran-f09.html

श्रमिक संघर्ष: एशिया, आस्ट्रेलिया तथा प्रशांत (पैसिफिक):

हजारों श्रमिक एशिया, आस्ट्रेलिया एवं पैसिफिक में अपने सराकरों के साथ संघर्ष कर रहे हैं वे अपने अधिकार जैसे न्यूनतम मजदूरी स्वास्थ्य बीमा तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं।
http://www.wsws.org/en/articles/2013/02/09/labo-f09.html

अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक मंदी महिला तथा बालिकाओं के लिए व्यापक मौत का कारण बनी है।

प्लान इंटरनेशनल के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक मंदी के कारण महिलाओं तथा बालिकाओं को मौलिक सुविधा नही मिलने से बडे पैमाने पर उनकी मौत हुई है। इसका सर्वाधिक असर गरीब देशों पर पड़ा है जहां कि बालक और बालिकाओं में वड़े पैमाने पर अन्तर पाया गया है यह अन्तर शिशु मृत्युदर शिक्षा एवं स्वास्थ्य के स्तर पर असमानता बाल श्रमिक इत्यादि में पाया गया है।
http://www.wsws.org/en/articles/2013/02/01/wome-f01.html

संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक विकास के लिए युवा स्वयं सेवकों के लिए अनुदान बढाए है:

युवाओं को समर्पित एक ट्रस्ट संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया जाएगा जो इन की ऊर्जा का इस्तेमाल कर वैश्विक विकास के लिए करेगा।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा यू.एन. वालेंटियर (यू.एन.वी.) द्वारा स्थापित यह ट्रस्ट युवाओं को स्वैच्छिक कार्य करने में मदद करेगा जोकि सरकार के विकास के कार्यक्रमों में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग करेगा। इस प्रकार इससे हजारों युवा प्रोत्साहित होकर वैश्विक स्तर पर शांति तथा विकास के लिए कार्य कर सकेंगे।
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=44007&Cr=mdg&Cr1=#.URozHR0slc0

सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के प्रति भेदभाव, मृत्युदर, गरीबी अभी भी बड़ी समस्या है

संयुक्त राष्ट्र 350,000 महिलाओं में से अधिकतम बच्चे पैदा करने के दौरान प्रतिवर्ष मरती है। इनमें से अधिकतर विकासशील देशों की हैं।

इसके साथ ही महिलाएं अभी भी विश्व स्तर पर स्कूलों, नौकरियों एवं सरकारों में बहुत कम भाग ले रहीं हैं। परिस्थितियां बहुत ही धीमी गति से सुधर रही हैं।
http://phys.org/news/2013-02-worldwide-women-inequality-mortality-poverty.html

मेरी आवाज : प्रभलीन (जागोरी, नई दिल्ली)

— प्रभलीन जागोरी के साथ काम करती है और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य में स्नाकोत्तर किया है ये विचार इन के अपने है

1 स्वैच्छिक क्षेत्र के बारे में आप की क्या राय है?

यदि हम मानवाधिकार के नजरिए से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि आजीविका का मुद्दा समान वेतन, श्रमदान इत्यादि मुद्दों को सबसे पहले इसी क्षेत्र ने लाया, ''महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं इसके सभी रूपों का उन्मूलन (CEDAW) पर आयोजित सम्मेलन से पहली बार लैंगिक मुद्दे के महत्व को समझा गया। सभी देश जो कि CEDAW को मान्यता देती हैं इसे एक रिपोर्ट भेजती है इसमें नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका'' रिपोर्ट बनाने में होती है जो देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है।

2 किन परिस्थितियों के कारण आप इस क्षेत्र में आए ?

मैं बचपन से ही कुछ अलग करना चाहती थी, विशेषकर मुझे गणित तथा कैलकुलेशन में रूची नहीं थी मैं हमेशा से इतिहास और समाज विज्ञान में रूचि लेती थी जब मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आई तब मुझे यह एहसास हुआ कि समाज वैसा नहीं है जैसा कि मैं सोचती थी तो फिर ये समाज कैसा है? इस प्रश्न को समझने के लिए मैं इस क्षेत्र में आई!

3 वर्तमान समय में स्वैच्छिक क्षेत्र में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है ?

कल्याण की अवधारणा के दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है और मैं समझती हूं कि स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान परिस्थिति में सभी संस्थाएं चाहे वे बड़ी हों या छोटी स्थायी अनुदान की आवश्यकता है इसलिए जो प्रमुख समस्या हमारे संस्थाओं के लिए है वह है लगातार और स्थाई अनुदान की कमी।

4 महिला सशक्तिकरण के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र के युवाओं की क्या भूमिका है ?

जैसा कि हमने हाल ही में जो परिस्थितियां दिल्ली में देखी इससे

राष्ट्रीय तथा अतंराष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने महसूस किया कि ये समस्या सिर्फ महिलाओं से सम्बन्धित नहीं है बल्कि इससे सारा समाज जुड़ा हुआ है। और इस प्रकार यदि हमें लैंगिक भेदभाव के मुद्दे को लेना है तो इसमें महिलाओं से अधिक पुरूषों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है। इस प्रकार इस सम्बन्ध में युवा महिला सशक्तिकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

5 आप अगले 10 वर्षो मे स्वैच्छिक क्षेत्र को आप कहाँ देखना चाहती हैं ?

जब मैं वर्तमान और विगत 10 वर्षों की तुलना करती हूँ तो मुझे काफी बदलाव नजर आते हैं जैसे कि अब महिलाएं अपने जज़्बात से खुलकर बयान कर सकती हैं पुरूषों के साथ काम कर सकती है, इसी प्रकार मैं आशा करती हूं कि आनेवाले समय में स्वैच्छिक क्षेत्र समाज के समग्र विकास में सतत बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगें। मैं आशा करती हूं कि भविष्य में समाज के सभी लोगों को अपने अधिकार मिलेगें जो कि धर्म, जाति, वर्ग इत्यादि से परे होगें।

— साक्षात्कार जकी अहमद द्वारा किया गया जागोरी दो दशकों से महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर काम कर रही है

वाणी के कार्यकलाप: नवम्बर 2012 जनवरी 2013

- **6 नवम्बर 2012 :** "द न्यू कोलैब्रेटिव स्पेसः फ्यूचर सेनेरियो ऑफ सिविल सोसाईटी बिजनेस एण्ड गवर्नमेंट इंगेजमेंट" विषय पर वेरिटयन होटल गुडगांव मे बैठक
- **9 नवम्बर 2012 :** विदेशी नीति विश्लेषक श्री मिक्को किकानेन से मुलाकात, जिस में भारत के गैर सरकारी संगठनों के परिदृश्य पर चर्चा
- **16 नवम्बर 2012 :** धारा 2 (15) पर चर्चा के लिए श्री सुधीर चन्द्र (पूर्व अध्यक्ष CBDT) से मुलाकात
- **19 नवम्बर 2012 :** भारतीय इस्लामिक केन्द्र लोधी रोड में 2015 के बाद कें मुद्दों पर अभीजीत बनर्जी से वार्तालाप
- **27–28 नवम्बर 2012 :** इंडिया इंटरनेश्नल सेंटर लोधी रोड में पोस्ट 2015 एजेन्डे पर परामर्श
- **29 नवम्बर 2012 :** श्री खुर्शीद अहमद गनी एडिश्नल सचिव (विदेश) गृहमंत्रालय के साथ बडे पैमाने पर FCRA के निरस्तीकरण के सम्बन्ध मे बातचीत
- **30 नवम्बर 2012:** वी.एस.ओ. स्वयं सेवक बैठक, VSO भारतीय ऑफिस में
- **4 दिसम्बर 2012:** नागरिक समाज संस्था (CSO) के लिए ADB's आउटरिच, प्लान इंडिया के ऑफिस में
- **7 दिसम्बर 2012:** स्वयंसेवा पर UNV इंडिया के फ्लैगशिप प्रकाशन का संयुक्त राष्ट्र कॉनफ्रेंस हॉल में शुभारम्भ।
- **17 दिसम्बर 2012 :** हैल्पेज इंडिया ऑफिस में आयकर तथा FCRA पर एक बैठक
- **18–19 दिसम्बर 2012 :** "स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थिति–अवसर एवं चुनौतियां" पर दक्षिण क्षेत्रीय बैठक ISI बैंगलौर में,
- **21 दिसम्बर 2012:** "भारत में स्वैच्छिक संस्थाओं के मापन के लिए उचित कार्य प्रणाली की खोज" पर वाणी में एक बैठक।
- **14–16 जनवरी 2013** यस होटल में IFP काउन्सिल की बैठक
- **18 जनवरी 2013:** "गैर सरकारी संस्थाओं में भारतीय अनुदान कम हो रहें है" पर इंडिया इंटरनेश्नल सेंटर में बैठक

अंतर्राष्ट्रीय

- **11 दिसम्बर 2012:** जी 20 कांफ्रेन्स Civil Society Vision, रूसी प्रेसिडेंसी बैठक मॉस्को में।
- **31 जनवरी 2 फरवरी 2013:** एशियन डेवलपमेंट एलाईन्स (ADA) कि प्रथम बैठक बैंकॉक में

वाणी द्वारा हाल ही में प्रकाशित पाठन सामग्री

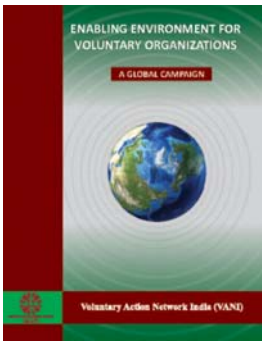

If you need any books, please write to us E-mail : info@vaniindia.org